न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

वाद कमॉक	तारीख दायरा	तारीख फैसला
60 / 20110	30.06.2010	11.06.2019

पीठासीन अधिकारी :– **चिमनलाल मीणा** (आर0ए0एस0)

–:: उनवान ::–

1. रामदयाल पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
2. प्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
3. श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
4. पप्पू पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
5. भॅवरीबाई पुत्री रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
6. श्रीमती मन्नी बेवा रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)

–वादीगण

–:: बनाम ::–

1. दीपचन्द पुत्र उदा जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
2. श्रीमती सीता पुत्री उदा जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
3. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री उदा जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
4. श्रभ्मती भवानीबाई बेवा उदा जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
5. कान्हा पुत्र चून्या जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
6. संजूपुत्र गौपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
7. रोडू पुत्र गोपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
8. श्रीमती गीता पुत्री गौपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
9. श्रीमती गायत्री पुत्री गौपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)

11/06/19

Scanned by CamScanner

10. श्रीमती कमली बेवा गौपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
11. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार ,रामगंजमण्डी

–प्रतिवादीगण

–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– ,88,89,91 92(ए) 53 रा.टे.एक्ट 1955 –

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. श्री शिवनारायण नागर वकील वादी
2. श्री कैलाशचन्द्र राठोर वकील प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 11.06.2019

वादीगण द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91 92(ए) 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि,वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 एक ही परिवार के सदस्य रहै है, जिनके खाते में ग्राम फतेहपुर की खसरा नम्बर 18 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि है , जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी 1 लगायत 4 का 1/6 , प्रतिवादी 5 का 1/6 व प्रतिवादी 6 लगायत 10 का हिस्सा 1/6 दर्ज है।

उक्त भूमि पर वादीगण ही निरन्तर अबाधरूप से काश्त करते चले आ रहै है। प्रतिवादीगण 1 से 4 तथा 6 से 10 का उक्त भूमि पर 15 वर्षो से कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 तथा 6 से 10 ने अपना हिस्सा वादीगण जरिये इकरारनामा हक त्यागपत्र दिनॉक 14.07.1997 को अपने हिस्से में से 1/6 व 1/6 वादीगण के पक्ष मे त्याग दिये जाने बाबत स्टाम्प तादादी 20/– लिखकर पब्लिक नोटेरी रामगंजमण्डी से प्रमाणित करवाया है। जिसमें उक्त प्रतिवादीगण द्वारा 10 बीघा 7 बिस्वा में अपना हक वादीगण के पक्ष में त्या दिये जाने का स्वैच्छापूर्वक कथन कर आलेखित किया है। तब से वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज है। तब से वादगत भूमि पर वादीगण का 7/12 हिस्सा बनता है तथा उसका वे खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार कृषक घोषित होने के हकदार है।

11/06

Scanned by CamScanner

यह कि वादगत भूमि की कीमत अधिक हो जाने से प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है तथा वे राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज रहने से उक्त भूमि को बेचान करना चाहते है। उक्त भूमि पर लोन लेने को प्रयासरत है। जबकि वे अपना हिस्सा दिनॉक 14.07.1997 को ही वादीगण के पक्ष में त्याग चुके है। अब उनका वादगत भूमि में कोई हिस्स बकाया नहीं है। यदि वादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को बहुवाद में फॅसना पड़ेगा जिस कारण वादीगण के लिये यह वाद प्रस्तुत करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

अन्य कथन कर वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि, वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि ,

1. वादगत आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा ग्राम फतेहपुर पर प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 तथा 6 से 10 के हिस्से पर हक त्याग एवे कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 तथा 6 से 10 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।
2. वादगत भूमि में से वादीगण को 7/12 हिस्सा का बॅटवारा कर उक्तानुसार खाता पृथक करते हुये लगान भी प्रृथक से कायम किया जाने की डिक्री फरमाई जावे।
3. प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करें, भूमि को खुर्द बुर्दरहन बेचान आदि नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि से करावे।

यह अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण5.6.7.8.10 की और से श्री शिवनारायण नागर विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 की और से श्री कन्हीराम अहीर विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनाम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 4 तथा 6 ता 8 व 10 की और से वाद वादीगण का पृथक पृथक जवाब प्रस्तुत किया

Scanned by CamScanner

गया। जवाब प्रतिवादीगण निम्न प्रकार है। जवाब में प्रतिवादी नम्बर 6,7,8,10 द्वारा अकित किया गया कि उनके द्वारा कोई दस्तावेज वादीगण के पक्ष में नहीं लिखा गया है। तथाकथित दस्तावेज फर्जी बनावटी है। प्रतिवादीगण 5 से 8 तथा 10 अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहै है। अन्य कथन कर वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि,वादगत भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। इस प्रकार के दावे सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल नयायालय को ही प्राप्त है। अन्य कथन कर वाद वादीगण मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

वादीगण के वादपत्र तथा प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर प्रकरण में आदेश 14 सी0पी0सी0 के तहत निम्न विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये।

तनकी नम्बर 1:–आया वादीगण ग्राम फतेहपुर की भूमि ख0न0 18 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा के प्रतिवादी 1 से 4 के हिस्सा 1/6 एवम प्रतिवादी 6 से 10 के हिस्सा 1/6 आराजी के स्थान पर कृषक घोषित होने के अधिकारी है।

तनकी नम्बर 2:– आया वादीगण उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी का 7/12 हिस्से से विभाजन कराने के अधिकारी है।

तनकी नम्बर 3:– आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा , हकत्याग बनावटी एवम फर्जी होने एवम अपंजीकृत दस्तावेज होने से प्रभावशून्य होने से दावा खारिज योग्य है।

तनकी नम्बर 2:– अनुतोष

बाद कायमी तनकियात साक्ष्य पक्षकारान ली गई। पक्षकारान् को साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति–युक्त अवसर दिये गये। दौराने साक्ष्य पक्षकारान् द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

इकरारानामा अनरजिस्टर्ड दिनॉक 14.07.1997 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी ग्राम फतेहपुर 2055–58 खाता नम्बर 116 प्रदर्श–1 , शपथपत्र प्रकाश पुत्र रामचन्द्र प्रदर्श

11/06/14

Scanned by CamScanner

पी0डब्ल्यू–1 , शपथपत्र प्रतिवादी 6,8,10 प्रस्तुत शपथ–पत्र प्रदर्श पी0डब्ल्यू–1 तथा शपथ–पत्र कमलीबाई पर जिरह लेखबद्व की गई।

दौराने सुनवाई वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण द्वारा अंकित किया गया कि वादपत्र की मद नम्बर 3 मं हिस्सा 7/12 दर्ज कर दिया है जबकि 5/6 होना चाहिये। इसी तरह 7/12 का विभाजन किये जाने के स्थान पर 5/6 अंकित किया जावे क्योकि 1/2 , 1/6 तथा 1/6 कुल 5/6 ही बनता है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसका विनिश्चय किया जाकर यह आदेश दिये गये कि इसे निर्णय के वक्त दुरूस्त कर दिया जावेगा।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराया। तथा वाद वादी को स्वीकार किये जाने का कथन किया गया। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी द्वारा प्रकरण अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के उपर आधारित होने के कारण वाद को खारिज करने के कथन किये।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथन , वॉच्छित अनुतोषादि , प्रतिवादीगण के जवाब , वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 , प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी नम्बर 1:–इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। हस्व प्रदर्श–1 वादगत भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की प्रमाणित है। उक्त भूमि पर वादीगण के साथ प्रतिवादीगण भी बतौर सहखातेदार दर्ज है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज के आधर पर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 10 की हेसियत वादगत भूमि पर समान है।

हस्व प्रदर्श–2 यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 द्वारा वादीगण के पक्ष में कोई अनरजिस्टर्ड इकरारनामा/हकत्याग दिनॉक 14.7.97 को किया गया है। उक्त अनरजिस्टर्ड हकत्यागनामे को न तो पंजीकृत दस्तावेज की संज्ञा दी जा सकती है और न

Scanned by CamScanner

ही उक्त दस्तावेज के आधार पर उक्त प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के जिन प्रावधानों के तहत वादगत भूमि पर से प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 या बकाया प्रतिवादीगण के खातदेारी अधिकारों का अवसान हो जाता हो वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज प्रदर्श–2 से ऐसा प्रमाणित नहीं होता है। वादीगण का कथन है कि उनका विगत 15 वर्षो से उक्त भूमि पर कब्जा है तथा प्रतिवादीगण का कोई कब्जां नहीं है। प्रतिवादीगण इससे इन्कार करते है। वादीगण द्वारा न तो अपना एकमात्र कब्जा ही प्रमाणित किया और न ही वे ये तय करा पाये कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से (**Right to recover Possession Extingushed**) अधिकार समाप्त हो चुका है , और वादगत भूमि पर उनके एकछत्र खातेदारी अधिकार पूर्णरूप से स्थापित हो चुके है।

प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह भी है कि उक्त दस्तावेज के प्रष्ठ संख्या 1 पर इकरारकर्ता के रूप में मात्र प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 तथा 10 का नाम ही अंकित है जबकि इकरारकर्ता के रूप में 5 से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह भी तय नहीं किया जा सकता कि बकाया हस्ताक्षर करने वालों से किस आधार पर हस्ताक्षर करवाये गयै ।

चूँकि प्रकरण में प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के विधिसंगत होने या नहीं होने या फर्जी होने या बनावटी होने आदि पर कोई टिप्पण किया जाना उचित नहीं है फिर भी यह अंकित किया जाना सर्वथा अपेक्षित है कि

वादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित कथनों से स्पष्ट प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वॉच्छित अनुतोष हेतु प्रतिवादी द्वारा वादी0 के पक्ष में आलेखित अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हकत्याग का आलम्बन व आश्रय लिया गया है। साथ ही वादीगण का कथन यह भी है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा वापस लेने के अधिकार धारा 63 के अनुसार समाप्त हो चुके है। इस बाबत सम्यक विचार के उपरान्त हम यह पाते है, कि वादीगण द्वारा निःसंदेह वादपत्र में अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हकत्याग दिनॉक 14.7.97 का आलम्बन वास्ते वॉच्छित अनुतोष लिया गया है।

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा वॉच्छित रिलीफ् के कम में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय आर0आर0डी0 1981 पेज 667 अब्दुल वहीद बनाम मॉगू में निम्न व्यवस्था दी है।

Rat. Tenancy Act secs 207 88 & 183 suit for Declaration restoration & of possession based on agreement – suit held triable by C.C. and not by R.C.

Plaintiff claimed Title on basis of an Agreement , alleged to have been entered into with them by deft . – cause of action arose against deft. Due to his not observing terms of agreement-substance of plaint was that since deft.not transferred land to ptffs. In performance of agreement,ptffs. Sought declaration and restorastion of possession From SDO,- ptffs. Tried to byepass action in C.C.for Specific Performance by deft . in discharge of agreement-ptffs. Should have filed suit for Specific Performance- No relif could be given by R.C. under III sch of Act where cause of action was of breach of agreement and non performance by one of contraciting parties- Even u/s 207 such a suit should be triable only by C.C –

इस प्रकार यह तय है कि वादी को उक्त इकरारनामें के मूल आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उक्त इकरारनामें के अधार पर खातेदार टीनेन्ट आदि के समान कोई स्वत्वः वादी को इस न्यायालय द्वारा दिया जाना विधिसंगत नहीं है।

आर0आर0टी0 2009(1) पेज 640 में व्यवस्था दी गई है कि " किसी भी इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय को खातेदारी के अधिकार की घोषणा का क्षेत्राधिकार नहीं है , इकरारनामें के आधार पर अपना हक साबित करने के लिये क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है , जिसमें अनरजिस्टर्ड डाक्यूमेंन्ट के आधार पर स्पेसीफिक परफौरमेंस का दावा करना होगा "

कानूनन राजस्व न्यायालय " अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंन्ट टू सेल " के आधार पर खातेदारी की घोषणा नहीं कर सकता है। न ही राजस्व न्यायालय को " अनरजिस्टर्ड

11/08/14

Scanned by CamScanner

एग्रीमेंन्ट के आधार पर खातेदारी घोषणा करने का अधिकार है। इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय है। बादी को तथाकथित " अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंन्ट " के आधार पर स्पेसिक परफौरमेंन्स का वाद सिविल न्यायालय में पेश करना चाहिये था।

इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न नजीरों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित कर रखे है। 1– आर0आर0टी0 2009(1) पेज 638, , Order 7 Rule 11 CPC Khatedari Right cannot be declared on the unregistered agreement आर0आर0डी0 1981 पेज 667 आर0आर0डी0 1980 पेज 646(हा0को) आर0आर0टी0 2004(2) पेज 935 , आर0आर0डी0 1974 पेज 305 , ए0आई0आर0 2003 (सु0को0) पेज 759

साथ ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय घनश्याम बनाम किशौरसिंह अपील/टी0ए0/2971/2005/बीकानेर निर्णय दिनॉक 21.07.2006 में स्पष्ट अभिधारित किया है कि, **Rajasthan Tenancy Act 1955 –saction 92 A- No right accrues on the land to any person on the Basis of Un- Registerd Document – in this case right on the land were claimed by the respondents on the basis of Unregistered agreement , whereas No Right Accrues on the land on the basis of Un- Registerd Document .**

इस प्रकार प्रकरण में यह तय किये जाने में कोई दो राय नहीं है कि वादीगण पिता या तत्पश्चात वादीगण को वाद वर्णित दस्तावेज (जिसकी प्रति प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत की गई है) अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हक़त्याग के आधार पर खातेदारी स्वत्वः इस न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं दिये जा सकते है।

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2:– इस तनकी को सिद्व काने का भार वादीगण पर था। तनकी नम्बर 1 में पूर्व में ही विनिश्चय किया जा चुका है कि वादीगण को वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण के 1 ता 4 तथा 6 ता 10 के हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते क्योकि प्रतिवादीगण के उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तोवज के आधार पर न तो खातेदारी अधिकारों का

Scanned by CamScanner

अवसान होता है और न ही वादीगण को उक्त दस्तावेज या तथाकथित कब्जा मुखालफाना के के आधार पर जो कि प्रमाणित नहीं है से किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोद्वभूत हो जाते हो।

वादीगण मृतक रामचन्द्र के वारिस है ऐसा हस्व प्रदर्श–1 जाहिर आता है और उक्त दस्तावेज में रामचन्द्र का हिस्सा 1/2 ही है। वादीगण मृतक रामचन्द्र के हिस्से की भूमि के ही अधिकारी प्रमाणित है और स्वत्व उनको प्राप्त नहीं है।

वादीगण वादगत भूमि में से 7/12 या प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रकिया संहिता के द्वारा वॉच्छित संशोधन 5/6 के अनुसार विभाजन करवाना चाहते है जो सम्यक साक्ष्य और स्वत्व के अभाव में देय नहीं है।

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3:– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा कमली बाई के बयान लेखबद्व करवाये है। तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज उन्हे पढकर नहीं सुनाया तथा हस्ताक्षर करवाने के कथन किये है। मोखिक कथन दस्तोवेजी साक्ष्य से ज्यादा प्रभावी होते है। तथा दस्तावेज जिके आधार पर वादीगण घोषणा दुरूस्ती तथा विभाजन का अनुतोष मॉग रहे है उनको उक्त अनुतोष दिया जाना विधिसंगत नहीं है। अनरजिस्टर्ड इकरारनामे या दस्तावेज के आधार पर कोई स्वत्व न तो राजस्व न्यायालय द्वारा देय है और न ही उक्त दस्तावेज के आधार पर वादीगण को किसी प्रकार स्वत्वप की घोषणा का अनुतोष दिया जा सकता है। उक्त दस्तावेज को चाहे प्रतिवादीगण स्वीकार भी कर ले तो भी विधि के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत इस न्यायालय द्वारा उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादगत भूमि में से प्रतिवादीगण 1 ता 4 व 6 से 10 का नाम नहीं हटाया जा सकता।

इकरारनामा, हकत्याग बनावटी है ? फर्जी है ? प्रभावशून्य है ? उक्त प्रश्नों का बिना कोई प्रत्युत्तर दिये हम यह अंकित किया जाना उचित समझते है कि विधि के सुसंगत प्रावधानों के प्रकम में राजस्व न्यायालय द्वारा यह तय नहीं किया जा सकता कि

11/05/18

Scanned by CamScanner

उक्त दस्तावेज जिसके द्वारा लिखे है उनके अधिकार वादगत भूमि पर से समाप्त हो गये है और इस दस्तावेज के आधार पर वादगत भूमि पर वादीगण जिनके पिता के पक्ष में उक्त दस्तावेज आलेखित है , को प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 या 6 से 10 के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्रोद्वभूत हो गये है।

वादगत भूमि पर से प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 या 6 से 10 के खातेदारी अधिकार वादीगण के पक्ष में पर्यावसित हो गये हो ऐसा प्रमाणित नहीं होने से यह तनकी तनकी नम्बर 1 के विवेचनाधीन इसी प्रकार बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :– तनकी नम्बर 1 से 3 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विश्लेषण एवं विवेचनोपरान्त वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 11.06.2019 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

11/06/19

(चिमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा

–:: उनवान ::–

1. रामदयाल पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
2. प्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
3. श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
4. पप्पू पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
5. भॅवरीबाई पुत्री रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
6. श्रीमती मन्नी बेवा रामचन्द्र जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)

–वादीगण

–:: बनाम ::–

1. दीपचन्द पुत्र उदा जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
2. श्रीमती सीता पुत्री उदा जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
3. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री उदा जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
4. श्रभ्मती भवानीबाई बेवा उदा जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
5. कान्हा पुत्र चून्या जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
6. संजूपुत्र गौपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
7. रोडू पुत्र गोपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
8. श्रीमती गीता पुत्री गौपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
9. श्रीमती गायत्री पुत्री गौपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
10. श्रीमती कमली बेवा गौपाल जाति भील निवासी मोड़कगॉव तहसील– रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)
11. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार ,रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

—प्रतिवादीगण

—वाद पत्र अन्तर्गत धारा— ,88,89,91 92(ए) 53 रा.टे.एक्ट 1955 —

मिसल नम्बर 60/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु मुझ **चिमनलाल मीणा** (आर0ए0एस0) बहाजिरी श्री शिवनारायण नागर ,एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु , श्री कैलाशचन्द्र राठोर मिनजानिब मुद्दालयह एक तरफा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि '' वाद वादीगण खारिज किया जाता है। ''

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 11.06.2019 **को जारी किया गया।**

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

वाद व्यय पक्षकारान अपना—अपना वहन करे।

11/06/19

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner